महत्वपूर्ण

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यूबेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
E-mail id- jccmarketing2014@gmail.com

पत्र संख्या : 4069/C /कय/आपूर्ति नीति/2018–19/दिनांक : 03.10.2018

1– समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय :– गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–2576/सी/कय–सट्टा आपूर्ति/2017–18, दिनांक 28.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पेराई सत्र 2017–18 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति निर्गत की गयी है। उक्त परिपत्र के प्रस्तर–2(V-अ) में यह व्यवस्था वर्णित है कि "गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक की विगत दो वर्ष (पेराई सत्र 2015–16, 2016–17), विगत तीन वर्ष (पेराई सत्र 2014–15, 2015–16, 2016–17) एवं विगत पांच वर्ष (पेराई सत्र 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17) की औसत गन्ना आपूर्ति में से जो भी अधिकतम औसत गन्ना आपूर्ति होगी, उसे उस कृषक का पेराई सत्र 2017–18 के लिए बेसिक कोटा माना जायेगा। जो कृषक पेराई सत्र 2016–17 में नये सदस्य बने हैं तथा एक वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किए हैं, उनके एक वर्ष की गन्ना आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जायेगा। पौधशालाधारक कृषक द्वारा सत्र के दौरान बीज के रूप में दी गयी गन्ने की मात्रा भी बेसिक कोटा के निर्धारण हेतु उस सत्र में गन्ना आपूर्ति मानी जायेगी। यदि चीनी मिल क्षेत्र में कुल कृषकों का इस प्रकार से निकाला गया बेसिक कोटा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से कम होता है, तो इस अन्तर की मात्रा को अतिरिक्त सट्टा से पूरा किया जायेगा। अतिरिक्त सट्टा के लिए सामान्य कृषकों से 2/– रूपये प्रति कुन्तल, लघु एवं सीमान्त कृषकों से 1/– रूपये प्रति कुन्तल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों से 0.50 पैसे प्रति कुन्तल की दर से जमानत राशि जमा करायी जायेगी अथवा गन्ना आपूर्ति की प्रथम पर्ची के गन्ना मूल्य से वसूल की जायेगी। अनुबन्धित सट्टा की आपूर्ति करने पर इन सभी कृषकों से 0.50 पैसे प्रति कुन्तल की धनराशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में समिति में रोकते हुए शेष धनराशि सम्बन्धित कृषक को वापस भुगतान की जायेगी।"

पेराई सत्र 2018–19 के लिए आहूत गन्ना सुरक्षण बैठकों में कृषकों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उनके द्वारा अनुबन्धित सट्टा की आपूर्ति करने के उपरान्त जो धनराशि समितियों द्वारा वापस की जानी चाहिए वह नहीं की जा रही है।

अतः उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन कृषकों द्वारा **पेराई सत्र 2017–18** में अनुबन्धित सट्टे की मात्रा के अनुसार गन्ना आपूर्ति की जा चुकी है, ऐसे कृषकों से की गयी कटौती को नियमानुसार सम्बन्धित कृषकों को भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या : /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
3. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उ.प्र.।

(विश्वेश कनौजिया)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।